

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग, सर्जिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग एवं पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी संवर्ग) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. राज्य के इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में सहायक निदेशक मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग, सहायक निदेशक, सर्जिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग एवं सहायक निदेशक, पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12101, दिनांक-18.07.2022 के द्वारा प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर दिनांक-04.01.2023 से दिनांक-03.02.2023 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अध्याची विभाग से प्राप्त उक्त पदों हेतु रिक्तियों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:-

विज्ञापन संख्या	पदनाम	वेतनमान	कुल रिक्तियाँ	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
01/2023	सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग)	अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600- 39100 एवं ग्रेड पे- 6600 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में वेतन स्तर-11 (ग्यारह)	13	एम० डी० (औषधि) और डी० एम० (कार्डियोलॉजी)
02/2023	सहायक निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग)	अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600- 39100 एवं ग्रेड पे- 6600 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में वेतन स्तर-11 (ग्यारह)	09	एम० एस० (जनरल सर्जरी) और एम० सी० एच० (कोर्डियोथोरासिक सर्जरी)
03/2023	सहायक निदेशक (पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी संवर्ग)	अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600- 39100 एवं ग्रेड पे- 6600 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में वेतन स्तर-11 (ग्यारह)	02	एम० डी० (पीडियाट्रिक्स) एवं डी० एम० (नियोनेटोलॉजी) अथवा डी० एम० (पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी)
कुल:-			24	---
<p>नोट:- उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अथवा राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से स्थायी निबंधन प्राप्त होना आवश्यक होगा। सभी शैक्षणिक योग्यताओं की प्रविष्टि निबंधन प्रमाण-पत्र में होना अनिवार्य है।</p> <p>2. राज्य में सुपर स्पेशलिटी विभागों/संवर्गों में नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है।</p>				

2. **आयु सीमा:-**(i) दिनांक-01.08.2022 को न्यूनतम आयु : 21 वर्ष।

अधिकतम आयु सीमा :-

(ii) पुरुष - 37 वर्ष

(iii) महिला - 40 वर्ष

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक-2374, दिनांक-18.07.2007 के आलोक में निम्नतम वेतनमान पर कार्यरत सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०05/2017 एवं 06/2017 के लिये कट-ऑफ-डेट दिनांक-01.08.2016 निर्धारित किया गया था।

अतः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2016 से 01.08.2022 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अर्थात् उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गए हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(vi) सा०प्र०वि० के संकल्प सं०-1003, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

- (vii) स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-681(17), दिनांक-31.08.2022 के आलोक में सुपर स्पेशियलिटी/स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सक द्वारा संविदा/नियमित नियुक्ति के उपरान्त किये गये कार्यावधि के समतुल्य अवधि का अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगा, किन्तु उक्त के आधार पर दी जाने वाली अधिकतम आयु सीमा में छूट अथवा किसी अन्य आधार पर दी जाने वाली छूट के प्रावधान में से कोई एक ही प्रावधान के अन्तर्गत छूट अनुमान्य कराया जायेगा।
3. **चयन की प्रक्रिया:-** 'सहायक निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग, सर्जिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग एवं पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी संवर्ग)' के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जायेगी:-

(i)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त एम०बी०बी०एस० डिग्री में प्रातांक के लिए:-	50 अंक
(ii)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त एम०डी०/एम०एस० या समकक्ष डिग्री के लिए:-	15 अंक
(iii)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त डी०एम०/एम०सी०एच० या समकक्ष डिग्री के लिए:-	10 अंक
(iv)	बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित सहित) चिकित्सा संस्थानों में नियमित/अनुबंध के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी/स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सक द्वारा नियुक्ति के उपरान्त कार्यानुभव के लिये (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक)। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा (सा०प्रा०वि० के संकल्प सं०-1003, दिनांक-22.01.2021)।	25 अंक
		कुल- 100 अंक

टिप्पणी-I:-

- (i) एम०बी०बी०एस० डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गणा करके होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.5 = 25$ अंक दिये जायेंगे।
(विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना के लिये विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (FMGE) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा।)
- (ii) न्यूनतम अर्हतांक 30 होगी।
- (iii) सिविल अपिल सं०-9482/2019 डॉ० (मेजर) मीता सहाय बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-17.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित सहित) चिकित्सा संस्थानों का कार्यानुभव मान्य होगा।
- (iv) अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक-03.01.2023 तक कंडिका-3(iv) में वर्णित संस्थानों में नियमित/अनुबंध के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी/स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सक द्वारा नियुक्ति के उपरान्त किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र जो प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक द्वारा निर्गत हो, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर अंक देय नहीं होगा एवं आयु सीमा में छूट देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना तिथि 03.01.2023 तक ही की जायेगी।
- (v) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) कार्यानुभव का अंक केवल सुपरस्पेशियलिटी/स्नातकोत्तर डिग्री के पश्चात् कार्यानुभव हेतु देय होगा।

4. **आरक्षण:-**

- (i) राज्य के सुपरस्पेशियलिटी विभागों/संवर्गों में नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है।

3/5

5. आवेदन शुल्क:- Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

क्र० सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	पुरुष	रु० 200/-
2	महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-
3	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे महिला/पुरुष हों।	रु० 200/-

- (i) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस. बी. आई के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।

6. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र की प्रति एवं तत्संबंधी सूचना की प्रविष्टि कर सभी वांछित प्रमाण-पत्र विहित कॉलम में upload करना सुनिश्चित करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई भी प्रमाण-पत्र upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (ii) कंडिका-3(iv) के अंतर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे।
7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
8. योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किया है एवं जिसकी प्रति Online आवेदन में upload किया गया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों के निर्गत होने की तिथि 02.02.2023 के पूर्व का होना आवश्यक है।
9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
10. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा ई०-मेल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
12. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु

20/12

आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

14. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। लेकिन आयोग इस संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।
15. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:—
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (vii) **फोटोग्राफ:—**
 - (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
 - (ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
 - (ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।
 - (घ) कंडिका 15 (vii) (क), (ख), (ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
 - (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
 - (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।
 - (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोट:-1.अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

3/5

8/11
2.1.2023
सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।